न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 05/2017

अनवान : –

1. कर्मचन्द पुत्र फुमण सिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
   2/1 मुखराम पुत्र दरबारा सिंह जाति बावरी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
   2/2 बलदेव पुत्र दरबारा सिंह जाति बावरी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
   2/3 सुखदेव पुत्र दरबारा सिंह जाति बावरी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
   2/4 सुखो पुत्री दरबारा सिंह जाति बावरी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
   2/5 नानकी पुत्री दरबारा सिंह जाति बावरी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
   2/6 धनकौर पत्नी दरबारा सिंह जाति बावरी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।

अपीलांट

बनाम्

1. कृष्ण सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
2. गुरदीप सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
3. समुन्द्र बाई पुत्री सन्ता सिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
4. सीतो बाई पुत्री सन्ता सिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
5. मीरा बाई पुत्री सन्ता सिंह जाति बावरी निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
6. सरपंच ग्राम पंचायत सालीवाला त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

रेस्पॉडेन्ट

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 75 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री परजीतसिंह, जयनारायण शर्मा **अपीलांट**
श्री एमके गौड़ रेस्पॉडेन्ट

निर्णय दिनांक: 18/7/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि अपीलार्थी एंव सन्ता सिंह पुत्र फुमण सिंह एक ही परिवार के सदस्य है जो भारत पाक के विभाजन के समय बतौर रिफयूजी भारत में आये थे जिन्हे बतौर रिफयूजी चक 1 एनजीआर व अन्य चक की भूमिं पूर्नवास विभाग द्वारा अलाट हुई सन्ता सिंह परिवार का कर्ताधर्ता था जिसनें उक्त आराजी पूर्नवास विभाग द्वारा मिलकर अकेले अपनें नाम दर्ज करवा जी उक्त आराजी का कब्जा 2/3 हि० का अपीलान्ट को दिया व 1/3 हि० का कब्जा अपने पास रखा अपीलान्ट सं0 1 का भाई सन्ता सिंह हमेशा यही कहता रहा की भूमिं तीनों भाईयों की बराबर बराबर है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में मैंने दर्ज करवाई है। सन्ता सिंह के फौत होनें पर रेस्पोडेन्ट न० 1 ता 5 नें अपीलार्थी के कब्जा व हिस्सा की भूमिं जिसका विवरण उपर दर्ज है का विरास्तन ईतकाल बिना कब्जा व बिनां हक के वारीस प्रमाण पत्र तैयार कर अपने हक में करवानें की कार्यवाही की रेस्पोडेन्ट को इस बात का भलीभांती ज्ञान होते हुये भी की उनका इस भूमि पर कब्जा नंही है तथा उक्त भूमि पर 2/3 हि0

Scanned with CamScanner

पर अपीलान्ट का कब्जा है को छुपाकर पटवारी हल्का से सांठगांठ कर उक्त भूमि का नामान्तरण पुस्तिका में रेस्पोडेन्ट न० 1 ता 5 में अपना नाम का इन्द्राज दर्ज लिया व ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20-07-2011 में इस की स्वीकृती दी गई इंतकाल 269 रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न अपील है अपीलार्थी इस कार्यवाही से पिड़ीत होकर निम्न आधारों पर अपील पेश करते है- की इंतकाल की समस्त कार्यवाही पूर्णतया गैर कानूनी व फर्जी वारीस प्रमाण पत्र के आधार पर की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है । इंतकाल की इस कार्यवाही से पूर्व पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा बाबत कोइ जांच पडताल या पुश्टताइ नही की गई । रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के कब्जा का तथ्य जानबूझकर छिपाया व उनके हिस्से की भूमि अपीलार्थी के पीठ पीछे अपने नाम उक्त इंतकाल दर्ज करवाया जो कतई गैर कानुनी है व निरस्त करवानें योग्य है । यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के सर्वथा विपरित होनें के कारण अपास्त किये जानें योग्य है। इंतकाल की इस कार्यवाही से पूर्व वारिसान की जांच मौके की स्थिती व कब्जे बाबत कोइ जांच नही की गई इसलिये भी आक्षेपित इंतकाल की समस्त कार्यवाही निरस्त किये जानें योग्य है। अपीलार्थीगण का स्व० संता सिंह की उक्त भूमि में 2 / 3 हि० का हक व अधिकार है। रेस्पोडेन्ट ने साजिशाना तौर पर पटवारी हल्का से मिलकर समस्त कृषी भूमि का उक्त इंतकाल अपने नाम दर्ज करवाया है जो निरस्त किये जानें योग्य है कानूनन रेस्पोडेन्ट न० 1 व 5 का उक्त भूमि मे मात्र 1/3 हि० पर कब्जा है। रेस्पोडेन्ट नें महत्वपूर्ण तथ्यो को छुपाते हुये गलत व फर्जी वारीसनामा के आधार पर भूमि का इंतकाल अपनें हक में करवाया है जो कतई विधि विरूद्ध है । ईस कार्यवाही के कायम रहने से व इंतकाल के प्रभावी रहनें से अपीलार्थीगण के अधिकारों पर सारभूत विपरित प्रभाव पडा है तथा अपीलार्थीगण के अधिकारों का हनन हो रहा है इस कार्यवाही से अपीलार्थीगण के साथ अन्याय हुआ है। इंतकाल की इस कार्यवाही का अपीलार्थीगण को ज्ञान सर्वप्रथम गत सप्ताह हुआ है और इंतकाल की प्रतिलिपी दिनांक 7-11-17 को प्राप्त हुई है इसलिये अपील हर प्रकार से अन्दर मियाद है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर संबधित इंतकाल की सम्पूर्ण कार्यवाही स्थगित की जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेंट की ओर से अपील आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत भूमि चक 1 एनजीआर तथाकथित तादादी 2.024है० भूमि भारत आये रिफ्यूजी को बतौर क्लैमेन्ट के पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित हैं. जो कि राष्ट्रपति भारत सरकार भी भूमि है ओर रिफ्यूजी के रूप मे अलॉटित है। रेस्पोडेंट के स्व० पिता सन्तासिंह पुत्र फुमन सिंह की अलॉटी भूमी है। जो कि आज भी राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज कागजात अंकित हैं। प्रश्नगत रिफ्यूजी भूमि का आवंटन संतासिंह को हीं हुआ था तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान को बतौर रेस्पोडेन्टस के नाम प्रश्नगत इंतकाल दर्ज कागजात राजस्व रिकोर्ड में किया गया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट्स के पिता सन्तासिंह आलोट हुई थी और संता सिंह की मृत्यु के बाद विरासतन रेस्पोडेन्टस सं० 1 ता 5 के नाम दर्ज प्रश्नगत इतकाल दर्ज हुआ है। एंव प्रश्नगत भूमि पर काबिज है। इससे साबित है कि प्रश्नगत भूमि कस्टोडियन आराजी है तथा कंस्टोडियन भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आर एल एक्ट के प्रावधान तथाकथित जैरकार अपील प्रश्नगत भूमि पर लागू नहीं है। चूकि कस्टोडियन भूमि के सबध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10. 2009 को परिपत्र जारी किया गया है तथा परिपत्र के अनुसार पुनर्वास विभाग की भूमी में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा तथा ना ही कोई नया दावा स्वीकार किया

Scanned with CamScanner

जायेगा। प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित अपील 13.09.2011 को दायर की गई है। जो कि उपरोक्त वर्णित राज्य सरकार के परिपत्र के अनुकूल न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवण क्षेत्राधिकार से बाहर दायर की गई अपील है, जो काबिल खारीजे के है। जो कि निरस्तनीय बनती है ।अपीलॉन्ट्स की ओर से उक्त प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में एक वाद पत्र बअनुवानी कर्मचन्द आदि बनाम कृष्ण सिंह आदि अन्तर्गत राजस्थान काश्त० अधिनियम की धारा 88–188 के अन्तर्गत किया हुआ है जो कि अदालत हाजा में जेरकार है। यहां यह भी निवेदिता है कि उक्त अनुवानी प्रकरण के साथ अपीलॉण्टस द्वारा बतौर एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट बअनवानी कर्मचन्द्र आदि बनाम कृष्ण सिंह आदि प्रकरण सं0 52/2011 बाबत निषेधाज्ञा किया गया था जो कि अदालत हाजा द्वारा दिनांक 25.10. 2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया था जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ उक्त अनुवानी की अपील प्रस्तुत की गई थी जिसका निस्तारण करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.05.2018 करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का आदेश दिया गया था। अतः अपीलांट द्वारा दायर की गई अपील जो कि विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने की स्थिति में काबिल निरस्तनीय है, जिसे निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील अपीलांट न्यायहित में अन्दर मियाद मानते हुए उक्त विवादित आराजी के संबंध में नामान्तरण सं0 269 दिनांक 20.07.2011 का अवलोकन किया गया। नामान्तरण सं0 269 , संतासिंह के के वारिसान के नाम दर्ज किया गया एवं वर्तमान में राष्ट्रपति भारत सरकार के आराजी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अपील एवं रेस्पोडेंट एक ही परिवार के सदस्य है। न्यायालय के अभिमत में उक्त नामान्तरण के संबंध में अपीलांट व्यथित पक्षकार होने से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 एलआरए आंशिक स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरण सं0 269 दिनांक 20.07.2011 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को प्रकरण इस आशय से रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि वे पुनः साक्ष्य सबूतों की जांच करते हुए उभयपक्ष की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नामान्तरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करें।

आदेश आज दिनांक 18/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner